

## सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए लोक अधिप्राप्ति नीति

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी लोक अधिप्राप्ति नीति के अंतर्गत, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों के कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के न्यूनतम 25 % शेयर सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के द्वारा अधिप्राप्त किया जाता है। गजट अधिसूचना, दिनांक 09.11.2018 के अनुसार, एमएसई से वार्षिक अधिप्राप्ति के कुल 25 % लक्ष्य में से 5 % वार्षिक अधिप्राप्ति एमएसई अधिकृत एससी/एसटी उद्यमों और 3 % महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। एमएसएमई, अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुसार मेसर्स एमएसएमई के अंतर्गत पंजीकृत फर्म्स को प्राथमिकता दी जाएगी।

लोक अधिप्राप्ति नीति के अनुसरण में, वर्ष 2020-21 के दौरान प्राथमिक आवश्यकताओं के बाबत एमएमटीसी की कुल अधिप्राप्ति रू. 5.78 करोड़ थी, जिसमें से एमएसई अधिकृत एससी/एसटी उद्यम सहित एमएसई से रूपये 5.39 करोड़ (जो कि 93.25 %) की प्राप्ति हुई, एमएसई अधिकृत एससी/एसटी उद्यम से 0.21 करोड़ रूपये (जो कि 3.9%) और एमएसई अधिकृत महिला उद्यमियों से 0.0085 करोड़ (0.16%) की प्राप्ति हुई।